बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

पत्र संख्या :–4/ज.शि.को.–02–08–09 1807 वा० पटना, दिनांक : 21/5/09

प्रेषक

नवनीत नंदन सहाय
वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री अमर नाथ मिश्र,
उप सचिव, जन शिकायत कोषांग
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना

विषय :– विकास यात्रा 09 के दौरान प्राप्त आवेदन के त्वरित निष्पादन एवं कार्रवाई प्रति निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग : **ज.शि.को (मु.स–04/2009–262 बी.आर) दिनांक 27.04.2009**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र में मुख्यमंत्री विकास यात्रा 09 के दौरान श्री राजेश कुमार महाराज समस्तीपुर से प्राप्त आवेदन पर त्वरित कार्रवाई पत्र Action taken letter तैयार कर प्रेषित करने का निदेश है।

इस संबंध में निदेशानुसार कहना है कि श्री महाराज ने अपने आवेदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह आग्रह किया है कि सरकारी राजस्व की चोरी एवं गबन में संलिप्त लोगों के बारे में प्रशासन को सूचना देने के उद्देश्य से उन्हें बिहार राज्य के इनफार्मर सह सूचना पदाधिकारी के पद पर नियुक्त करने का आदेश संबंधित विभाग को दिया जाय। उन्होंने अपनी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है।

इस संबंध में यह कहना है कि इनफार्मर सह सूचना पदाधिकारी या इस प्रकार का कोई अन्य पद वाणिज्य–कर विभाग में सृजित नहीं है और न ही इस प्रकार का कोई पद सृजित किये जाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार को यह अधिकार है कि निगरानी विभाग या सूचना विभाग के अन्तर्गत ऐसा कोई पद सृजित कर इनकी नियुक्ति उक्त पद पर करने के दिशा में अग्रेतर कारवाई करने का निदेश संबंधित विभाग को दे। वाणिज्य–कर विभाग में सम्प्रति इस प्रकार को कोई प्रस्ताव नहीं है।

अतः कृत कार्रवाई पत्र (Action taken letter) में वाणिज्य–कर विभाग से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। आवेदक को इस आशय की सूचना दी जा सकती है। आवेदन की मूल प्रति मूल रूप में वापस की जा रही है।

विश्वासभाजन

वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त,
बिहार, पटना।